रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1976/कार्तिक 21, 1898
No. 214] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1976/KARTIKA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1976

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th November 1976

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for* 1976-77—duty exemption scheme for *advance licences.*

No. 112-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the provisions made in para 55 Part 'B' Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for April 1976—March 1977 pertaining to imports under duty exemption scheme. The details of the scheme are given in Annexure XXXIX of the said Red Book.

2. Under the provisions, advance licences are issued for import of raw materials and components required for execution of specific orders. Representations have been received that exporters may be enabled to make timely arrangements for import of raw materials and components in anticipation of securing export orders from buyers abroad. It has accordingly been decided to entertain applications for the grant of bulk advance licences under the scheme.

3. Applications for the bulk advance licence can be made without reference to any specific export order. Such application should be made in the form appearing in Annexure XV in Red Book (Volume II) which is the form meant for applications for advance licences against specific export orders Since in such cases, there will be no export order

at the time the application is made, the applicant will not be required to furnish the details of the export order in the application. The applicant should indicate the value of the licence applied for and the items sought to be imported as also the description of goods to be exported. The application should be supported by treasury challan towards payment of application fees. The application should be made to the Chief Controller of Imports and Exports (E. P. Division), Udyog Bhavan, New Delhi.

4. The bulk advance licence will be issued for the value and the items as may be recommended by the DGTD and cleared by the Advance Licensing Committee under the Chief Controller of Imports and Exports. The licence will be subject to an export obligation. The licence-holder will be required to export goods of specified value and description within a stipulated period in discharge of the obligation. On the basis of such bulk advance licence, the licence-holder will be able to import the material for export production.

5. Meanwhile, if the licence-holder receives an export order and he intends to avail of the benefits of the Duty Exemption Scheme for import of raw materials and components for execution of that export order against the bulk advance licence already issued to him, he should make an application to this effect to the Chief Controller of Imports & Exports (EP Division), Udyog Bhavan, New Delhi in the form prescribed in Appendix II in Annexure XXXIX to Red Book (Volume II). The application should be made in the form and manner as laid down in Annexure XXXIX to Red Book (Volume II). It should be supported by a copy of the export order and other documents in accordance with the procedure indicated in the said Annexure XXXIX. Copies of the application should also be addressed to the DGTD (EP Directorate), Udyog Bhavan, New Delhi and Deputy Secretary (Drawback), Ministry of Finance, New Delhi. It will not be necessary for the applicant to pay application fees in respect of such application. The application should be made a month before the arrival of goods against the bulk advance licence referred to above. After considering the application, if it is decided to allow the applicant the benefit of duty exemption scheme in respect of specified raw materials and components of specified value/quantity, the bulk advance licence will be suitably endorsed by the licensing authority to allow duty-free imports subject to an export obligation. In pursuance of such endorsement imports will be allowed free of duty and to that extent, the bulk advance licence will be treated as a licence issued under the duty exemption scheme.

6. If the licence-holder is not in a position to secure an export order and the imports are made against the bulk advance licence, such imports will not be exempt from payment of customs duty and the importer will be required to discharge the export obligation already imposed on the licence for which he will have to execute the export bond supported by bank guarantee or in the form of a legal agreement without a bank guarantee as the case may be.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1976

विषय:—1976-77 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति—अग्रिम लाइसेंस के लिए शुल्क में छूट देने की योजना ।

सं० 112-आई टी सी (पी एन)/76.—अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०-II) के खण्ड 1 के भाग 'ब' की कंडिका 55 में शुल्क में छूट देने की योजना के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. इन व्यवस्थाओं के अनुसार विशिष्ट आदेशों के निष्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल एवं संघटकों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त हुए हैं कि निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं से निर्यात आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में कच्चे माल और संघटकों के लिए समय पर व्यवस्थाएं करने के लिए समर्थ बनाया जाए। तदनुसार, इस योजना के अन्तर्गत भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने का निश्चय किया गया है ।

3. भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र किसी भी विशेष आदेश का हवाला दिए बिना ही किए जा सकते हैं। ऐसे आवेदन पत्र रेड बुक (वा०—II) के अनुबन्ध 15 में दर्शाये गए प्रपत्र में किए जाने चाहिएं जो कि विशेष निर्यात आदेश के लिए अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों के लिए निर्धारित है। चूंकि ऐसे मामलों में आवेदन पत्र भेजते समय कोई भी निर्यात आदेश नहीं होगा, इसलिए आवेदक को आवेदन पत्र में निर्यात आदेश के ब्यौरे भेजना आवश्यक नहीं होगा। आवेदक को चाहिए कि वह आवेदित लाइसेंस के मूल्य और आयात की जाने वाली मदों और निर्यात किये जाने वाले माल के ब्यौरे का भी संकेत करे। आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र शुल्क के भुगतान का राजकोष चालान भी भेजा जाना चाहिए। आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (ई०पी० डिवीजन), उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए ।

4. भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा सिफारिश किये जाने वाले मूल्य और मदों के लिए जारी किए जायेंगे और उनकी निकासी मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के अन्तर्गत गठित अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। लाइसेंस एक निर्यात आभार के अधीन होगा। लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह आभार को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान विशिष्ट मूल्य और विवरण के माल का निर्यात करें। ऐसे भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर ही लाइसेंसधारी निर्यात उत्पादन के लिए माल का आयात करने के लिए समर्थ होगा।

5. इस बीच, यदि लाइसेंसधारी निर्यात आदेश प्राप्त करता है और वह पहले से ही जारी किए गए भारी संख्या मे अग्रिम लाइसेंसों के मद्दे उस निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए कच्चे माल एवं संघटकों के लिए शुल्क में छूट के लिए योजना के लाभ को उपलब्ध करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में रेड बुक (वा०—II) के अनुबन्ध 39 के परिशिष्ट 2 में निर्धारित प्रपत्र में मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को आवेदन पत्र भेजे। आवेदन पत्र रेड बुक (वा० —II) के अनुबन्ध 39 में निर्धारित प्रपत्र एवं विधि के अनुसार ही भेजे जाने चाहिए। इसके साथ उक्त अनुबन्ध 39 में संकेतित क्रिया विधि के अनुसार निर्यात आदेश एवं अन्य दस्तावेज भेजे जाने चाहिए। आवेदन पत्र की प्रतियां महानिदेशक, तकनीकी विकास (निर्यात संवर्धन निदेशालय), उद्योग भवन, नई दिल्ली और उप-सचिव (शुल्क वापसी), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए। आवेदक के लिए ऐसे आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आवेदन शुल्क देना आवश्यक नहीं होगा। आवेदन पत्र उपर्युक्त उल्लिखित भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस के मद्दे माल के पहुंचने से एक मास पूर्व किये जाने चाहिए। आवेदन पत्रों पर विचार करने के पश्चात् यदि इस बात का निश्चय किया जाता है कि आवेदक को विशिष्टकृत मूल्य/मात्रा के विशिष्टकृत कच्चे माल और संघटकों के सम्बन्ध में शुल्क में छूट देने की योजना का लाभ प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी जाए तो भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस शुल्क मुक्त आयात की स्वीकृति के लिए निर्यात आभार के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा

पृष्ठांकित किये जायेंगे । ऐसे पृष्ठांकन के अनुसरण में शुल्क मुक्त आयात के लिए स्वीकृति दे दी जाएगी और उस सीमा तक भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस शुल्क में छूट देने की योजना के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंस के रूप में ही माने जायेंगे ।

6. यदि लाइसेंसधारी निर्यात आदेश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है और भारी संख्या में अग्रिम लाइसेंस के मद्दे आयात कर दिए जाते हैं तो ऐसे आयात सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त नहीं हो जाएंगे और आयातक के लिए आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस पर पहले से ही लगाए गए निर्यात आभार को पूरा करे और इसके लिए उसे जैसा भी मामला हो बैंक गारन्टी या बैंक गारन्टी के न होने पर कानूनी समझौते के रूप में एक प्रपत्र के साथ निर्यात बांड निष्पादित करना होगा ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976